

प्रेस विज्ञप्ति

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क.भ.नि.सं. की जांच के दायरे में

क.भ.नि.सं. द्वारा निर्माण क्षेत्र के कामगारों पर ध्यान केन्द्रित

छात्र प्रशिक्षु क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 के उद्देश्य से कर्मचारी नहीं

नई दिल्ली, 5 नवंबर 2015 : अक्टूबर, 2015 माह के दौरान क.भ.नि.सं. में हुई विभिन्न गतिविधियों का संज्ञान लेते हुए, श्री के.के. जालान, के.भ.नि.आ. ने नोट किया कि पिछले एक माह में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं ।

श्रम पर स्थायी समिति की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है । बांबे पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल., ओ.एन.जी.सी., एन.एच.ए.आई., भारतीय रेलवे तथा सी.पी. डब्ल्यू. डी. जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों तक अधिनियम तथा योजनाओं के लाभों का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । उसी प्रकार, निर्माण उद्योग में कार्यरत कामगारों तक लाभों का विस्तार करने पर भी इस माह संगठन का ध्यान केन्द्रित रहा है और उद्योग में कार्यरत सभी पात्र कर्मचारियों को अधिनियम के दायरे में लाने के लिए सी.पी.एस.यू., एस.पी.एस.यू. और अन्य राज्य सरकारों तथा ट्रेड यूनियनों के साथ औपचारिक विचार-विमर्श करने के लिए रणनीति निश्चित की गई है जिससे कि सामाजिक सुरक्षा लाभों को उन सभी तक पहुंचाया जा सके ।

अक्टूबर माह में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के गठन में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है क्योंकि डॉ. राम तरनेजा के निधन से उत्पन्न हुई रिक्ति के अंतर्गत श्री बालासुब्रमणियम कामारसू को बोर्ड में नियोक्ता के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित किया गया । केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. की ठेका कामगारों, पेंशन तथा ई.डी.एल.आई. कार्यान्वयन समिति, वित्त, निवेश तथा लेखा परीक्षा पर उपसमितियों का भी पुनर्गठन किया गया ।

देशभर में संगठन के सभी कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह (26 से 30 अक्टूबर 2015) मनाया गया । इस वर्ष कार्यालय में होने वाली गतिविधियों से आगे बढ़कर, बहुत से शहरों जैसे दिल्ली, गोवा, कोलकाता, जमशेदपुर, कोयंबतूर आदि में स्कूलों और कॉलेजों में वाद प्रतियोगिताओं, चर्चाओं आदि के आयोजन के द्वारा युवाओं को सतर्कता तथा भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दों पर संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया ।

जीवन प्रमाण-पत्र (ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र) को लोकप्रिय बनाने के लिए संगठन के सभी फील्ड कार्यालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे क.पै.यो. के पेंशनभोक्ताओं की सुविधा हेतु फील्ड कार्यालयों के आगंतुक काउंटरों को बायोमीट्रिक उपकरणों तथा पी.सी. में जीवन प्रमाणपत्र सॉफ्टवेयर डलवाएं। प्रमुख पेंशन संवितरण बैंक शाखाओं में क.भ.नि. हेल्प डेस्क पर भी विचार किया जा रहा है। क.पै.यो. पेंशनभोक्ताओं को अपने जीवन प्रमाणपत्रों को अपलोड करने में सक्षम बनाने के लिए चुने हुए क्षेत्रों में मोबाइल कैंपों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

एक प्रमुख कदम के रूप में, संगठन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि छात्र प्रशिक्षु जो कि तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में कोर्स कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करते हुए 'ऑन द जॉब' प्रशिक्षण पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है, वे क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी की परिभाषा में नहीं आते। इससे इन छात्र प्रशिक्षुओं को निधि के सदस्यों के रूप में नामांकित करने के लिए उन की पात्रता की संदिग्धता खत्म हो जाएगी और इससे नियोक्ताओं में अधिक स्पष्टता आने की तथा मुकद्दमों में भी कमी आने की आशा है।

क.भ.नि.सं. में लेखांकन प्रक्रियाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने में एक प्रमुख कदम के रूप में, संगठन के लेखा संबंधी मामलों पर एक अध्ययन करने का निर्णय लिया गया। 1000/- रु. से कम वाले निष्क्रिय खातों को आरक्षित लेखे में अंतरित करने का निर्णय लिया गया।

संगठन ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 70 लाख से अधिक दावों का निपटान किया है और इनमें से 42% का निपटान 03 दिनों के अंदर जबकि 80% का निपटान 10 दिनों के अंदर और 97% का निपटान निर्धारित 20 दिनों के अंदर किया गया है। इसी प्रकार से शिकायत निवारण में भी तेज गति से प्रगति हो रही है और केवल अक्टूबर माह में ही 18,000 से अधिक शिकायतों का निपटान किया गया है।

PRESS RELEASE

Public Sector Undertakings comes under EPFO scanner

EPFO concentrates on workers in the construction sector

Student-trainees are not employees for the purpose of EPF & MP Act, 1952.

New Delhi, 5 November 2015: While taking stock of the various developments in EPFO during the month of October, 2015, Shri K.K. Jalan, CPFC noted that several important decisions have been taken in the past one month.

Addressing the concerns voiced by the Standing Committee on Labour, a drive for ensuring compliance in respect of Public Sector Undertakings has been initiated. Special emphasis is laid on extension of the benefits of the Act and schemes to the eligible employees working in PSUs like Bombay Port Trust, Jawaharlal Nehru Port Trust, BSNL, MTNL, ONGC, NHAI, Indian railways and CPWD. Likewise, the extension of benefits to the workers engaged in the construction industry has also been the focus of the organization this month and a strategy has been firmed up to initiate formal interaction with CPSUs, SPSUs and other state govt. departments and trade unions with a view to bring all the eligible employees engaged in the industry under the ambit of the Act so that social security benefits are extended to all of them.

The month of October also saw a slight modification in the constitution of the Central Board of Trustees (EPF) as Shri Balasubrahmanyam Kamarsu has been nominated to the Board as an employers' representative against the vacancy arising out the demise of Dr. Ram Tarneja. The Sub Committees on Contract Workers, Pension and EDLI Implementation Committee, Finance, Investment and Audit Committee of CBT, EPF were also reconstituted.

Vigilance Awareness Week (26 to 30th October 2015) was celebrated in all the offices of the organisation across the country. This year, going beyond undertaking activities within the office, an effort was made to sensitize young minds to vigilance and corruption related issues by organizing speech competitions, discussions at schools and colleges in many cities like Delhi, Coimbatore, Kolkata, Faridabad, etc.

With a view to popularize Jeevan Pramaan Patra (Online Life Certificate) instructions have been issued to the field offices of the organisation to equip reception counters of the field offices with biometric devices and PC with Jeevan Pramaan Patra software installed for the ease and convenience of EPS pensioners. EPF helpdesk in major pension disbursing bank branches are also being contemplated. It is also decided to organize mobile camps in selected areas for enabling EPS pensioners to upload their life certificates.

In a major step, the organization has clarified that student trainees who are paid stipend during on the job training while pursuing course in technical /professional educational institutions would not come under the definition of employee for the purpose of EPF &MP Act. This removes the ambiguity surrounding the eligibility of such student-trainees for enrolling as members of the Fund and is expected to bring about greater clarity among employers and also reduce litigations.

In a major step to assess the position of the accounting procedures in EPFO, it was decided to have a study conducted on the accounts issues of organization. It was also decided that Inoperative Accounts of less than Rs. 1,000 shall be transferred to the reserve account.

The organization has settled more than 70 lakh claims in the current fiscal and 42% of the same has been settled within 03 days while 80% has been settled within 10 days and 97% within the mandated 20 days. Likewise grievance redressal has also been progressing at a brisk pace and more than 18,000 grievances were settled in the month of October alone.